विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक/विउशिनिफोदु/2026/279

दुर्ग, दिनांक - 31\08\26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 175
दिनांक: 28/07/2026

श्री सागर शर्मा, पिता श्री आनंद शर्मा
मोहलई, लक्ष्मी नगर, गली नं. 5, बघेरा, दुर्ग
बी.पी. नं. रू 1010267701

आवेदक

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) संभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग।
2. सहायक अभियंता, उपसंभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बघेरा।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 31/08/2026 को पारित किया गया)

1. आवेदक की शिकायत

आवेदक श्री सागर शर्मा द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन, बी.पी. नं. 1010267701, के विद्युत देयक में विसंगति एवं अधिक राशि प्रदर्शित होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

आवेदक के अनुसार उसके द्वारा माह जनवरी 2026 से जून 2026 तक की विद्युत खपत की हिस्ट्री रीडिंग की जाँच एवं आवश्यक सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त शिकायत के आधार पर संबंधित विद्युत विभाग द्वारा बिलिंग हिस्ट्री की जाँच कर आवश्यक सुधार किया गया।

आवेदक के अनुसार उक्त सुधार के फलस्वरूप पूर्व में भुगतान किए गए विद्युत देयकों में लगभग ₹3,080/– का समायोजन/लाभ देय था। इसके अतिरिक्त माह मई 2026 के बिल में शासन द्वारा प्रदत्त लगभग ₹1,667.37/– की छूट का लाभ भी बिल में दिए जाने का अनुरोध किया गया था।

2. अनावेदकगण का पक्ष

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार आवेदक श्री सागर शर्मा द्वारा बी.पी. नं. 1010267701 से संबंधित माह जनवरी 2026 से जून 2026 तक के विद्युत देयकों में सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

उक्त आवेदन के आधार पर उपसंभाग कार्यालय, बघेरा द्वारा बिलिंग अभिलेखों/हिस्ट्री रीडिंग का परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जा चुका है।

अनावेदकगण के अनुसार आवेदक को बिल से संबंधित आवश्यक सुधार की जानकारी दी गई तथा संशोधित देयक/समायोजन के अनुसार बिल का भुगतान भी आवेदक द्वारा कर दिया गया है।

3. आवेदक का कथन

प्रकरण के संबंध में आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष प्रस्तुत कथन/पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उसके द्वारा बी.पी. नं. 1010267701 से संबंधित विद्युत बिलों में सुधार हेतु आवेदन दिया गया था, जिसका निराकरण उपसंभाग कार्यालय, बघेरा द्वारा कर दिया गया है।

आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उसके विद्युत बिल में आवश्यक सुधार किया जा चुका है तथा उसके द्वारा संशोधित बिल का भुगतान कर दिया गया है।

आवेदक ने अपने पूर्व में प्रस्तुत परिवाद को वापस लेते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि वह विभाग द्वारा किए गए बिल सुधार से संतुष्ट है तथा अपने विद्युत बिल से संबंधित शिकायत को आगे नहीं चलाना चाहता है।

4. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :–

1. क्या आवेदक के बी.पी. नं. 1010267701 से संबंधित विद्युत देयकों में अनावेदकगण द्वारा आवश्यक जाँच एवं सुधार किया जा चुका है?

2. क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के निराकरण के पश्चात उसे कोई अन्य राहत प्रदान किया जाना शेष है?

3. क्या आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद को उसकी संतुष्टि एवं शिकायत वापसी के आधार पर निराकृत किया जा सकता है?

5. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 की विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा आवेदक की शिकायत, अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा बी.पी. नं. 1010267701 से संबंधित विद्युत देयकों की हिस्ट्री रीडिंग की जाँच एवं आवश्यक सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

अनावेदकगण द्वारा उक्त शिकायत पर कार्यवाही करते हुए संबंधित बिलिंग अभिलेखों एवं हिस्ट्री रीडिंग का परीक्षण किया गया तथा आवश्यक सुधार उपसंभाग कार्यालय, बघेरा द्वारा किया जाना बताया गया है।

आवेदक ने स्वयं भी अपने पत्र में स्वीकार किया है कि उसके विद्युत बिलों में आवश्यक सुधार कर दिया गया है तथा वह विभाग द्वारा किए गए निराकरण से संतुष्ट है।

अतः फोरम इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक की मूल शिकायत पर अनावेदकगण द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 की विवेचना एवं निष्कर्ष

अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के कथन से यह स्पष्ट है कि बिल संबंधी शिकायत का विभागीय स्तर पर निराकरण किया जा चुका है तथा आवेदक द्वारा संशोधित विद्युत देयक का भुगतान भी कर दिया गया है।

आवेदक ने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपनी शिकायत वापस लेने तथा प्रकरण के निराकरण पर संतुष्टि व्यक्त की है।

अतः वर्तमान स्थिति में आवेदक द्वारा किसी अतिरिक्त राहत की मांग शेष नहीं है।

फोरम यह भी पाता है कि जब शिकायतकर्ता स्वयं अपने परिवाद के निराकरण से संतुष्ट होकर शिकायत वापस ले रहा है, तब प्रकरण में आगे किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है।

6. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम यह पाता है कि आवेदक श्री सागर शर्मा की बी.पी. नं. 1010267701 से संबंधित विद्युत बिलों की शिकायत पर अनावेदकगण द्वारा आवश्यक जाँच एवं सुधार की कार्यवाही की जा चुकी है।

आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उसके विद्युत बिलों में आवश्यक सुधार कर दिया गया है, बिल का भुगतान कर दिया गया है तथा वह विभाग द्वारा किए गए निराकरण से संतुष्ट है।

आवेदक द्वारा अपना परिवाद वापस लिए जाने का अनुरोध भी किया गया है।

अतः आवेदक की सहमति एवं संतुष्टि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत परिवाद को वापस लिया हुआ मानते हुए निराकृत किया जाता है।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रचलित नियमों के अनुसार इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग